महत्त्वपूर्ण-परिसीमन

संख्या-3957/नौ-1-10-14नि0से0/05

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय उ0प्र0, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 ।।
3. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम ।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी ।।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2010

विषयः- प्रदेश के नागर निकायों के वार्डों के परिसीमन के संबंध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के प0सं0 265/रा0नि0आ0अनु0 5/2010/48/10, दिनांक 26 नवम्बर, 2010 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि यदि प्रदेश में कोई नयी नगर निकाय गठित हुयी है अथवा किसी नगर निकाय की सीमा वृद्धि करके ग्रामीण इलाकों को सम्मिलित किया गया है तो ऐसी नगर निकायों के वार्डों का परिसीमन तत्काल कराया जाये ताकि उक्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावली तैयार करायी जा सके ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश की उपरोक्तानुसार की गयी अपेक्षानुसार प्रदेश में गठित नयी नगर निकाय अथवा किसी नगर निकाय की सीमा वृद्धि करके ग्रामीण इलाकों को सम्मिलित किये गये ऐसे नगर निकायों के वार्डों का परिसीमन तत्काल कराया जाये तथा कृत कार्यवाही की जानकारी संगत अभिलेखों सहित शासन/राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल प्रेषित किया जाये ।

भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव ।